Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 108: Powers of Revisional Authority

- Subject to the provisions of section 121 and any rules made thereunder, the **(1)** Revisional Authority may, on his own motion, or upon information received by him or on request from the Commissioner of State tax, or the Commissioner of Union territory tax, call for and examine the record of any proceedings, and if he considers that any decision or order passed under this Act or under the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act by any officer subordinate to him is erroneous in so far as it is prejudicial to the interest of revenue and is illegal or improper or has not taken into account certain material facts, whether available at the time of issuance of the said order or not or in consequence of an observation by the Comptroller and Auditor General of India, he may, if necessary, stay the operation of such decision or order for such period as he deems fit and after giving the person concerned an opportunity of being heard and after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as he thinks just and proper, including enhancing or modifying or annulling the said decision or order.
- (2) The Revisional Authority shall not exercise any power under sub-section (1), if—
 - (a) the order has been subject to an appeal under section 107 or section 112 or section 117 or section 118; or
 - (b) the period specified under sub-section (2) of section 107 has not yet expired or more than three years have expired after the passing of the decision or order sought to be revised; or
 - (c) the order has already been taken for revision under this section at an earlier stage; or
 - (d) the order has been passed in exercise of the powers under sub-section (1):

Provided that the Revisional Authority may pass an order under subsection (1) on any point which has not been raised and decided in an appeal referred to in clause (a) of sub-section (2), before the expiry of a period of one year from the date of the order in such appeal or before the expiry of a period of three years referred to in clause (b) of that subsection, whichever is later.

- (3) Every order passed in revision under sub-section (1) shall, subject to the provisions of section 113 or section 117 or section 118, be final and binding on the parties.
- (4) If the said decision or order involves an issue on which the Appellate Tribunal or the High Court has given its decision in some other proceedings and an appeal to the High Court or the Supreme Court against such decision of the Appellate Tribunal or the High Court is pending, the period spent between the date of the decision of the Appellate Tribunal and the date of the decision of the High Court or the date of the decision of the High Court and the date of the decision of the Supreme Court shall be excluded in computing the period of limitation referred to in clause (b) of

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- sub-section (2) where proceedings for revision have been initiated by way of issue of a notice under this section.
- (5) Where the issuance of an order under sub-section (1) is stayed by the order of a court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of limitation referred to in clause (b) of sub-section (2).
- (6) For the purposes of this section, the term,—
 - (i) "record" shall include all records relating to any proceedings under this Act available at the time of examination by the Revisional Authority;
 - (ii) "decision" shall include intimation given by any officer lower in rank than the Revisional Authority.

धारा 108 : पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां

- (1) धारा 121 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसे प्राप्त सूचना के आधार पर या राज्य कर आयुक्त अथवा संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगवा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा, और यदि वह यह समझता है कि उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित कोई विनिश्चय या आदेश त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वह राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कितपय सारवान तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध हैं या नहीं या वह भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए संप्रेक्षण के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण है, तो वह, यदि आवश्यक हो तो, ऐसी अविध के लिए, जो वह उचित समझे, ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को स्थिगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक और उचित समझे, जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को विधित करना या उपांतिरित करना या अपास्त करना भी है।
- (2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि—
 - (क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन अपील के अध्यधीन है; या
 - (ख) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय का अवसान हो गया है; या
 - (ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर प्रक्रम पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है; या
 - (घ) आदेश उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया गया है :

परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी अपील में आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व या उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसे बिन्दु पर कोई आदेश पारित कर सकेगा, जो उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी अपील में उठाया नहीं गया है या विनिश्चत नहीं किया गया है।

- (3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।
- (4) यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तर्विलत है, जिस पर अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय ने किसी अन्य कार्यवाही में अपना विनिश्चय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, तो अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत अवधि को वहां उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित किया जाएगा, जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन सूचना जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हो।
- (5) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपील अधिकरण के

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

भाग—ा

आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, वहां ऐसे स्थगन की अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि को परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दिया जाएगा।

- (6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,-
 - (i) ''अभिलेख'' में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के समय किसी कार्यवाही से संबंधित उपलब्ध सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे;
 - (ii) ''विनिश्चय'' में पुनरीक्षण प्राधिकारी से रैंक में न्यून किसी अधिकारी द्वारा दी गई संसूचना सम्मिलित होगी।

www.cggst.com